न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 18/2008 प्रार्थना पत्र 14 (4)

मंदिर कुटी श्री गणेशदास जी महाराज ग्राम आलूदा जरिये भक्तगणः–

1. प्रभातीलाल पुत्र नारायण जाति मीना निवासी डागोलाई
2. रामावतार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मीना निवासी डागोलाई
3. रामजीलाल पुत्र घासीलाल जाति मीना निवासी इटारडा
4. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल मीना निवासी इटारडा
5. जगन्नाथ पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी आलूदा
6. जयदेवा पुत्र भोंरीलाल जाति मीना निवासी आलूदा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये उपखंड अधिकारी, दौसा
3. हमीदा बानो बेवा अब्दुल करीम
4. अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल करीम
5. अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल करीम
6. नवाब अली पुत्र अब्दुल करीम
7. फजूल पुत्र अब्दुल करीम
8. जाईज पुत्र अब्दुल करीम

समस्त जाति मुसलमान निवासी बंजारों की मस्जिद के पास हसनपुरा ए जयपुर

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा दिनांक 14.6.1967 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 03 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है

उपस्थिति : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 24.09.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा ने दिनांक 14.06.1967 को अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नंबर 03 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 08 के पिता को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि खसरा नंबर 496 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन रूल्स 14(4) पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुकाम आलूदा ने अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान को दिनांक 14.6.1967 को वाके ग्राम आलूदा में स्थित भूमि खसरा नंबर 495 में से 05 बीघा 10 बिस्बा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन विधि सम्मत प्रकिया के विपरीत एवं आवंटन रूल्स के समस्त नियमों की अवहेलना करके किया गया है। उक्त भूमि आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। आवंटन के दिन कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान को आवंटन कर दिया। अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां द्वारा कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है। आंवटित भूमि पर मंदिर कुटी गणेशदास जी महाराज का कब्जा आंवटन के पूर्व से चला आ रहा है व आज भी कब्जा है। उक्त भूमि मे गणेशदास जी महाराज का मेला भरता है एवं पशुओं के इकट्ठा होने के काम आती है। प्रश्नगत भूमि काश्त योग्य नही थी। अतः आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 14.6.1967 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 495 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस मे दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प आलूदा द्वारा दिनांक 14.06.1967 को अप्रार्थी नंबर 3 के पति एवं अप्रार्थी नंबर 4 लगायत 8 के पिता अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खां को खसरा नं0 495 मे से 5 बीघा 10 बिस्बा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। साथ ही आवंटन के लगभग 30 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 3लगायत 8 को बार–2 आवाज लगाई गई। अप्रार्थी 3 लगायत 8 बार बार आवाज लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार नांगल राजावतान ने रिपोर्ट से अवगत कराया है कि ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 495 आवंटी अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खॉ जाति मुसलमान निवासी जयपुर हाल खसरा नंबर 1725 रकबा 0.04है0, खसरा नंबर 1729 रकबा 0.15 हैं. खसरा नंबर 1730 रकबा 0.13है0 कुल किता 3 रकबा 0.28 है0 दर्ज रिकार्ड है जो हाल जमाबंदी संवत 2071–74 मे आवंटी के वारिसान हमीदा बानो बेबा अब्दुल करीम, अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल करीम, नवाब अली ,फजूल, जाईल हुसैन नाबालिग पि0 अब्दुल करीम जाति मुसलमान सा0 जयपुर दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर मंदिर क़ुटी श्री गणेशदास जी महाराज आलूदा के मंदिर परिसर की चारदीवारी मे स्थित है, जो मौके पर खाली है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं0 3 लगायत 8 को बार बार आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार ग्राम आलूदा के साबिक खसरा नंबर 495 आवंटी अब्दुल करीम पुत्र अल्लादीन खॉ जाति मुसलमान निवासी जयपुर को हाल खसरा नंबर 1725 रकबा 0.04है0, खसरा नंबर 1729 रकबा 0.15 हैं. खसरा नंबर 1730 रकबा 0.13है0 कुल किता 3 रकबा 0.28 है0 दर्ज रिकार्ड है जो हाल जमाबंदी संवत 2071–74 मे आवंटी के वारिसान हमीदा बानो बेबा अब्दुल करीम, अब्दुल सलाम, अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल करीम, नवाब अली ,फजूल, जाईल हुसैन नाबालिग पि0 अब्दुल करीम जाति मुसलमान सा0 जयपुर दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर मंदिर कुटी श्री गणेशदास जी महाराज आलूदा के मंदिर परिसर की चारदीवारी मे स्थित है, जो मौके पर खाली है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की बैठक कैम्प आलूदा मे आवंटन किया गया है जिस पर तहसीलदार एंव सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन उचित नही है कि कोरम की बैठक पूर्ण नही होने पर तहसीलदार द्वारा ही भूमि का आवंटन किया गया है। कैम्प आलूदा मे आवंटी को किया गया भूमि का आवंटन सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आंवटन सलाहकार समिति की मुकाम आलूदा मे बैठक में दिनांक 14.6.1967 के द्वारा आवंटी अब्दुल करीम पुत्र अलादीन खा जाति मुसलमान को वाके ग्राम आलूदा स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 495 में से 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि का किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आवंटी को किया गया भूमि कास आवंटन यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा